

का. नं. २२/१/२५ का पत्र है।
आइन्दा दिनांक ०२/१/२५

शेडर

राजस्थान न्यायालय राज. अजमेर

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

वकील अपीलान्त एव अपीलान्त

को वार-वार आवाजे दिलवाई गई व आवजूद मुचता के अनुपस्थित १ वकील अपीलान्त एव अपीलान्त की अनुपस्थिति में प्रकरण अहम हाजिरी एवं अहम पैरवी में खारिज किया जाता है ५ पक्षवली जो काल शुमार होकर हरिकल दफ्तरे होत

आदेश सुनाया गया

के. ए.

सदस्य

राजस्थान न्यायालय राज. अजमेर

के. ए.

सदस्य

राजस्थान न्यायालय राज. अजमेर

2-1-25